HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 550/2023

Reliance General Insurance Co. Ltd., Through Regional Manager, 6Th Floor, Man Upasana Tower, Sardar Patel Marg, C Scheme, Jaipur.

----Appellant

Versus

1. Kamla Devi W/o Late Laxman Lal, Aged About 60 Years, By Caste Katara, Resident Of Gelan, Tehsil Simalwada, District Dungarpur. (Raj.)
2. Prakash S/o Late Laxman Lal, Aged About 27 Years, By Caste Katara, Resident Of Gelan, Tehsil Simalwada, District Dungarpur. (Raj.)
3. Rahul S/o Late Laxman Lal, Aged About 25 Years, By Caste Katara, Resident Of Gelan, Tehsil Simalwada, District Dungarpur. (Raj.)
4. Jitendra S/o Late Laxman Lal, Aged About 23 Years, By Caste Katara, Resident Of Gelan, Tehsil Simalwada, District Dungarpur. (Raj.)
5. Shankar Lal S/o Ladu Ji Tabiyad, Aged Major, Resident Of A-422, Jorawarpura, Tehsil Simalwada, District Dungarpur. (Raj.) (Driver)
6. Saeed (Pengada) S/o Abdul Kareem Ghanchi, Aged Major, Resident Of Peeth, Tehsil Simalwada, District Dungarpur. (Raj.) (Owner)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Rajat Choudhary for Mr. TRS Sodha
For Respondent(s)	:	-

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

12/04/2023

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

RAJASTHAN HIGH COURT

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस अपील व स्थगन प्रार्थना–पत्र के जारी किये जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा अवार्ड की 50 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करवायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मय ब्याज दो माह की अवधि में अधिकरण के समक्ष जमा करवायी जाती है, तो मोटरयान दुघर्टना दावा अधिकरण, डूंगरपुर (राज.) द्वारा एम.ए.सी. संख्या 385/2019, श्रीमती कमला व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य में पारित अवार्ड दिनांक 14.12.2022 की शेष राशि की वसूली इस अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर अवार्ड के अनुसार क्लेमेंटस् को राशि अदा कर दी जाये।

क्लेमेंटस् से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जाये कि यदि इस अपील का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में होता है तो अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई उपरोक्त राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस लौटायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् अधीनस्थ अधिकरण न्यायालय का अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

15-GauravG/-